न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, सवाई माधोपुर

अपील संख्या - 63/26 GCMS NO 2026/88

रामादेवी पत्नि महेन्द्र धाकड जाति धाकड निवासी गौमती कॉलोनी हिण्डौन तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

अपीलांट

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

रेस्पो0

(अपील विरूद्ध मु0नं0 101/25 निर्णय व डिक्री दिनांक 24.2.26 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली)

अभिभाषक अपीला0 श्री ईश्वर सोनी

अभिभाषक रैस्पो0 पेरोकार सरकार

दिनांक 02.06.2026

निर्णय

प्रस्तुत अपील अपीला0 की ओर से अंतर्गत धारा 223 विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 24.2.26 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन पेश की है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि अधिनस्थ न्यायालय मे वादीया/अपीलांट ने दाव बाबत घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा न0 2477 रकबा 4 बीघा 7 विस्वा स्थित करवा हिण्डौन साबिक मे सिवायचक सरकारी भूमि रही है। लेकिन उक्त आराजी पर हिण्डौन निवासियो की प्रारंभ से ही आबादी बनाकर रिहायश रही है। उक्त भूमि का सिवायचक सरकारी भूमि होना खतौनी बन्दोबस्त संवत 2000 से 2019 से बखूबी साबित है। जमाबंदी सम्वत 2008 से 2011 मे उक्त साबिक खसरा न0 2477 सरकारी दीगर भूमि राजस्व रिकार्ड मे अंकित रहा है। इसी प्रकार संवत 2021 से 2024 के राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी मे भी उक्त खसरा न0 सिवायचक दर्ज रहा है परन्तु उसकी किस्म गैर मुमकिन कवर दर्ज कर दी गई। जबकि मौके पर उक्त भूमि मे कभी कोई कवर नही रही बल्कि उक्त भूमि मे लोगो ने प्रारंभ से ही मकानियत व पाटोरपोश होकर रिहायश रही है। इस प्रकार उक्त भूमि साबिक रिकार्ड के अनुरूप प्रारंभ से ही सरकारी/दीगर सरकारी भूमि सिवायचक रही है। खसरा न0 2477 की खसरा गिरदावरी सवंत 2008 से 2011 मे उक्त भूमि मे मकान बन जाने का स्पष्ट अंकन है तथा गिरदावरी सम्वत 2014 से 2017 तथा संवत 2018 से 2019 की खसरा गिरदावरी मे भी उक्त भूमि सिवायचक गैर मुमकिन आबादी दर्ज है तथा उक्त खसरा गिरदावरी मे उक्त भूमि मे मूलचद कारीगर, गोरधनदास, नथुआ,हरिकिशन,हरिवल्लभ आदि का कब्जा पाटोरपोश स्पष्ट रूप से अंकित है तथा खसरा गिरदावरी सवंत 2020-21 व 2022 लगायत 2025 मे भी उक्त सम्पूर्ण भूमि मे गैर मुमकिन आबादी दर्ज है। इसी प्रकार खसरा गिरदावरी सम्वत 2026 मे भी उक्त भूमि गैर मुमकिन आबादी व रास्ता व 4 विस्वा भूमि मे बगीची दर्ज है जो गिरदावरी सम्वत 2026 से 2029 से भलीभाँति स्पष्ट है। इसी प्रकार खसरा गिरदावरी सवंत 2034 से 2037 व 2046 मे भी उक्त भूमि मे गैर मुमकिन

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

आबादी दर्ज है। इससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि मे कभी गैर मुमकिन कंवर नही रहा है। बल्कि मौके पर उक्त भूमि मे लोगो की रिहायश होकर आबादी रही है मगर राजस्व रिकार्ड मे गलत तरीके से उक्त सरकारी भूमि को गैर मुमकिन कंवर दर्ज कर दिया गया। जिसका की कोई विधिक आधार नही था। दौराने सेटलमेंट साबिक खसरा न0 2477 रकबा 4 बीघा 7 विस्वा का हाल खसरा न0 6007 रकबा 1.09 है0 कायम किया परन्तु दौराने सेटलमेंट सेटलमेट कर्मचारियो ने सिवायचक/दीगर सरकारी भूमि को विधि विरूद्व तरीके से बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के अपने अधिकार क्षैत्र से बाहर जाकर उक्त आराजी को गलत तरीके से वक्फ सम्पतियो की दर्ज कर दिया। जबकि उक्त सम्पति हाल खसरा न0 6007 रकबा 1.09 है0 कस्बा हिण्डौन कभी भी वक्फ सम्पति नही रही और ना ही वक्त की सम्पति घोषित हुई और ना ही कभी वक्फ की गई, ऐसी स्थिति मे सेटलमेंट कर्मचारियो व अधिकारियो को उक्त आराजी को वक्फ सम्पति दर्ज करने का कानूनन कोई हक हकूक हासिल नही था। इस प्रकार सेटलमेट कर्मचारियो अधिकारियो द्वारा की गई उक्त कार्यवाही खिलाफ कानून रही है। राजस्थान सरकार वक्फ कनिश्नर वक्फ एक्ट के तहत वक्त सम्पतियो की सूची धारा 5 (1) वक्फ एक्ट के तहत भेजी, जिनको भी राजस्थान सरकार के द्वारा उक्त सम्पतियो के बाबत 23 सितम्बर 1965 को गजट नोटिफिकेशन मे तहसील हिण्डौन की वक्त की सम्पतियो की सूची जारी की और उक्त सूची मे साविक खसरा न0 2477 कस्बा हिण्डौन कही पर भी अंकित नही है, इससे स्पष्ट है कि उक्त खसरा न0 2477 कस्बा हिण्डौन कभी भी वक्फ सम्पति नही रहा, लेकिन सेटलमेंट कर्मचारियो ने विधि विरूद्व रूप से अधिकार क्षैत्र से बाहर जाकर खिलाफ कानून बिना किसी क्षैत्राधिकार के उक्त आराजी का हाल खसरा न0 6007 कायम करते समय उसको विधि विरूद्व रूप से वक्फ सम्पति दर्ज कर दिया। आराजी खसरा न0 2477 साबिक पर मूलचंद आदि के कब्जे के सबंध मे मूलचंद की मृत्यु के उपरान्त उसके वारिस काबिज रहे तथा मूलचंद के वारिस दिनेशचंद को उक्त भूमि के सबंध मे भूमि खसरा न0 साबिक 2477 को सरकारी भूमि मानते हुए और उस पर दिनेश का कब्जा मानकर नायब तहसीलदार हिण्डौन के यहॉ धारा 91 एलआर एक्ट का नोटिस जारी हुआ और उक्त प्रकरण का मु0न0 90/86 कायम होकर उक्त सरकारी भूमि पर दिनेश का अतिक्रमण मानते हुए उसके विरूद्व बेदखली के आदेश पारित हुए। जिसकी अपील दिनेशचंद द्वारा न्यायालय ए डी एम करौली के यहॉ उनवानी दिनेश चंद बनाम सरकार जरिये तहसीलदार पेश की जिसका निर्णय दिनांक 24.3.87 को होकर उक्त भूमि मे दिनेश चंद की पैतृक रिहायश होना और उसके पिता को नगर पालिका हिण्डौन द्वारा ग्राण्ट रेट पर खाम मकान बनाने के लिए 41.2/3 गज भूमि मकान निर्माण के लिए दी गई और मूजम नक्शा खास मकान तामिल का इजाजत दी गई। उक्त स्थितियो की वास्तविकता हेतु दौरोने अपील मौके पर नायब तहसीलदार के साथ स्वयं एडीएम करौली द्वारा निरीक्षण किया गया और उक्त भूमि पर दिनेशचंद के पुख्ता निर्माणात मौके पर पाये गये तथा उक्त भूमि के रकबे 4 बीघा 7 विस्वा सम्पूर्ण पर आबादी बसावट पाई गई और बसावट के काम मे आना पाया गया और दूर दूर तक मकान निर्माण पाये गये और उक्त आधार पर दिनेश चंद की अपील स्वीकार कर उसके विरूद्व धारा 91 एल आर एक्ट की कार्यवाही को निरस्त किया गया। उक्त भूमि मे कभी भी गैरमुमकिन कंवर नही रही बल्कि उक्त भूमि सरकारी सिवायचक होकर नगर पालिका हिण्डौन परिक्षैत्र मे होने

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

से उसमे लोगो की बसावट होकर पुख्ता निर्माणात हो गये, मगर सेटलमेंट कर्मचारियो ने उक्त भूमि को गलत रूप से वक्फ सम्पति अपने अधिकार क्षैत्र से बाहर जाकर दर्ज कर दिया। जिसका उनको कोई अधिकार नही था। आराजी खसरा न0 साबिक 2477 मे हरिवल्लभ भटट ब्राहम्ण ने उक्त भूमि मे बने हुए अपने मकान को सुरेन्द्र कुमार पुत्र मांगीलाल गहाजन को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 29.11.76 मे विकय कर दिया। तत्पश्चात उक्त खरीदशुदा मकानियत को सुरेन्द्र कुमार द्वार वादिया अपीलांट को दिनांक 8.6.16 को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र कर कब्जा करा दिया वर्तमान मे वादिया रामादेवी उक्त खसरा न0 मे बने पुख्ता मकान पर काबिज एवं दखील होकर उसका उपयोग उपभोग करती चली आ रही है। और उक्त भूमि मे वादिया ने विधुत कनेक्शन ले लिया है। जिसके बिलो का भुगतान करती चली आ रही है। उक्त सम्पति से किसी अन्य व्यक्ति का कोई सबंध वास्ता नही है। इससे स्पष्ट है कि उक्त साबिक खसरा न0 2477 जिसका हाल खसरा न0 6007 कायम किया गया है कभी भी वक्फ सम्पति नही रही और ना ही कभी उक्त भूमि मे कोई गैर मुमकिन कंवर रही बल्कि उक्त भूमि प्रारंभ से ही सरकारी सिवायचक भूमि रही है। जिसमे लोगो के आवासीय परिसर व रिहायश हो रही है। मगर सेटलमेंट कर्मचारियो द्वारा उक्त भूमि को गलत व विधि विरूद्व रूप से वक्फ सम्पति दर्ज कर दिया। वादिया द्वारा उक्त कयशुदा मकान पर ऋण लेने के लिए दस्तावेज मोर्गेज रखन पर उक्त पुख्ता निर्माणीयत के हाल खसरा न0 6007 वक्फ सम्पति मे दर्ज होने के कारण बैक द्वारा ऋण देने से मना करने पर कानूनी सलाह ली जाकर समस्त दस्तावेजात की नकल प्राप्त कर प्रतिवादी से सेटलमेंट द्वारा की गई विधि विरूद्व कार्यवाही को दुरूस्त कराने और साबिक रिकार्ड के अनुरूप हाल खसरा न0 6007 को सरकारी सिवायचक भूमि दर्ज कराने के लिए कहा तो प्रतिवादी द्वार इंकार न्यायालय मे चाराजोही करने को कहा। इसलिए वाद कारण उत्पन्न होने पर वाद प्रस्तुत कर इस्तदुआ इस प्रकार की चाही गई कि आराजी साबिक खसरा न0 2477 रकबा 4 बीघा 7 विस्वा सरकारी सिवायचक स्थित कस्बा हिण्डौन जिसका हाल खसरा न0 6007 रकबा 1.09 है0 स्थित कस्बा हिण्डोन कायम किया है उसे वक्फ सम्पति से हजफ किया जाकर साबिक रिकार्ड अनुसार सरकारी सिवायचक दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे उसी अनुरूप दुरूस्ती की जावे। इस प्रकार की इस्तदुआ अधिनस्थ न्यायालय से वादिया द्वारा चाही जाने पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादिया/अपीलांट का वाद पत्र खारिज किये जाने से व्यथित होकर अपीलांट/वादिया द्वारा यह अपील इस न्यायालय मे पेश की गई है।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया। रेस्पो0 को नोटिस जारी कर तलब किया गया। बहस उभयपक्ष अधिवक्ता की अपील पर सुनी गई।

अपीलांट के अधिवक्ता ने लिखित बहस प्रस्तुत कर उसमे अंकित किया कि साबिक खसरा न0 2477 रकबा 4 बीघा 7 विस्वा कस्बा हिण्डौन की खतौनी बंदोवस्त सवंत 2000 से 2019 से सरकारी सिवायचक भूमि होना राजस्व रिकार्ड को भलीभॉति स्पष्ट किया है। जिसके जबाब मे तहसीलदार ने उक्त तथ्य को स्वीकार किया है। इस प्रकार उक्त तथ्य स्वीकृत तथ्य रहा है। तत्पश्चात उक्त भूमि आगामी राजस्व रिकार्ड जमाबंदी सम्वत 2008 से 2011 मे भी भूमि सिवायचक रही है। मगर सवंत 2021 से 2024 मे उक्त भूमि के खातेदारी कॉलम मे सिवायचक करते हुए गलत रूप से गैर मुमकिन कंवर दर्ज कर दिया, जबकि राजस्व कर्मचारियो को उक्त राजस्व रिकार्ड

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

मे गैर मुमकिन कंवर क्यो व किसी आधार पर दर्ज किया है इस बात का कही कोई उल्लेख किसी प्रकार का नही है। जबकि राजस्व कर्मचारियो को उक्त इन्द्राजात को बिना किसी सक्षम अधिकारी के आदेश के बदलने का कानूनन कोई अधिकार किसी प्रकार का नही रहा है। मगर अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त महत्वपूर्ण बिन्दु को इग्नोर कर निर्णय व डिक्री खिलाफ कानून पारित किये है, इसलिए अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। दौरोन सेटलमेंट उक्त खसरा न0 2477 रकबा 4 बीघा 7 विस्वा कस्बा हिण्डौन का हाल खसरा न0 6007 रकबा 1.09 है0 कायम किया और उसे गलत रूप से बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के अपने अधिकार क्षैत्र से बाहर जाकर उक्त भूमि को गैर मुमकिन कंवर बताकर उसे वक्फ सम्पति की खातेदारी मे दर्ज कर दिया जबकि उक्त भूमि कभी भी वक्फ की नही रही है तथा कानूनन जब तक कोई भूमि/सम्पति वक्फ नही की जाती तब तक वह वक्फ सम्पति नही कहलाती है तथा राज्य सरकार द्वारा उक्त सम्पति वक्फ बोर्ड को वक्फ की गई हो, ऐसा कोई आदेश या वक्फ पत्र रेस्पो0 द्वारा पेश नही किया गया और ना ही इस सबंध मे राज्य सरकार का उक्त भूमि के सबंध मे कोई स्कुलर रहा, जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि उक्त भूमि वक्फ विभाग को सरकार के द्वारा वक्त की गई, मगर सेटलमेंट कर्मचारियो ने उक्त भूमि को गलत व विधि विरूद्व रूप से गैर मुमकिन कंवर दर्ज करते हुए उसे वक्त विभाग की खातेदारी मे दर्ज कर दिया। जिसका उन्हे कोई कानूनी अधिकार हासिल नही था। सेटलमेंट कर्मचारियो अधिकारियो को केवल मात्र पुराने इन्द्राजात को ही रिपीट करने का अधिकार हासिल है तथा राजस्व रिकार्ड के इन्द्राजात मे हेरफेर करने का उन्हे कोई अधिकार हासिल नही है। मगर सेटलमेंट विभाग ने बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना व किसी अधिकार के बिना उक्त खसरा न0 की खातेदारी सिवायचक राज्य सरकार के स्थान पर वक्फ विभाग के नाम दर्ज कर दिया जिसका उनको कोई अधिकार नही है। इस प्रकार सेटलमेंट द्वारा की गई उक्त सम्पूर्ण कार्यवाही अवैध एवं अधिकार क्षैत्र के बाहर रही है। मगर अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त सम्पूर्ण स्थिति को इग्नोर कर निर्णय व डिक्री खिलाफ कानून पारित किये है इसलिए अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य है। खसरा न0 2477 मे कभी भी कंवर नही रही, बल्कि उक्त भूमि मे सवंत 2008 मे ही आबादी हो गई जो कि उक्त खसरे की गिरदावरी सम्वत 2008 से 2011 मे भूमि मे मकानात के निर्माण हो जाने का स्पष्ट अंकन है तथा गिरदावरी सवंत 2014 से 2017 मे भी भूमि गैर मुमकिन आबादी दर्ज है जो कि लगातार संवत 2018 से 2021 के काश्त के कॉलम मे गैर मुमकिन आबादी दर्ज है तथा विशेष विवरण मे मूलचंद कारीगर पाटोरपोश 05 विस्वा, गोवर्धनदास कब्जा पाटोरपोश, नथुआ कब्जा पाटौरपोश, हरिकिशन धाकड कब्जा पाटोर पोश तथा सवंत 2022 लगायत 2025 व 2026 से 2029 व 2034 से 2036 की गिरदावरियो मे भी खातेदारी के कॉलम मे सिवायचक व काश्त के कॉलम मे गैर मुमकिन आबादी दर्ज है इससे स्पष्ट है कि उक्त भूमि सिवायचक गैर मुमकिन आबादी है और मौके पर लोगो की आबादी बनी हुई है तथा मौके पर कोई कब्रिस्तान या कवर नही है। मगर सरकारी रिकार्ड मे उक्त भूमि को गलत रूप से गैर मुमकिन कवर दर्ज कर दिया गया, जिसका कि कोई विधिक अधिकार व मौके की स्थिति से कोई वास्ता नही था, मगर अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त सम्पूर्ण स्थिति को ओवरलुक करते हुए उक्त निर्णय व डिक्री खिलाफ कानून पारित किये है , इसलिए उक्त निर्णय व डिक्री निरस्त कर अपील स्वीकार किये जाने योग्य

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

है। राजस्थान सरकार वक्फ कमिश्नर वक्फ एक्ट के तहत वक्फ सम्पतियो की सूची धारा 5 (1) वक्फ एक्ट के तहत भेजी गई, जिसमे राजस्थान सरकार द्वारा उक्त सम्पतियो के वाबत दिनांक 23.9.65 को गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया, जिसमे तहसील हिण्डौन की वक्फ सम्पतियो की सूची मे साबिक खसरा न0 2477 कस्बा हिण्डौन वर्णित नही था मगर राजस्व रिकार्ड के अधिकारी एवं कर्मचारियो ने बिना किसी अधिकार क्षैत्र के मनमर्जी व खिलाफ कानून आबादी सिवायचक भूमि को गैर मुमकिन कवर दर्ज करते हुए उसे वक्फ विभाग के नाम दर्ज कर दिया मगर अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त सम्पूर्ण स्थिति को व दस्तावेजी साक्ष्य को ओवरलुक करते हुए दावा वादिया गुलत रूप से खारिज किया है इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री निरस्त किया जाकर अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। आराजी खसरा न0 2477 साबिक पर मूलचंद आदि के कब्जे के सबंध मे मूलचंद की मृत्यु के उपरान्त उसके वारिस काबिज रहे तथा मूलचंद के वारिस दिनेशचंद को उक्त भूमि के सबंध मे भूमि खसरा न0 साबिक 2477 को सरकारी भूमि मानते हुए और उस पर दिनेश का कब्जा मानकर नायब तहसीलदार हिण्डौन के यहॉ धारा 91 एलआर एक्ट का नोटिस जारी हुआ और उक्त प्रकरण का मु0न0 90/86 कायम होकर उक्त सरकारी भूमि पर दिनेश का अतिक्रमण मानते हुए उसके विरूद्व बेदखली के आदेश पारित हुए। जिसकी अपील दिनेशचंद द्वारा न्यायालय ए डी एम करौली के यहॉ उनवानी दिनेश चंद बनाम सरकार जरिये तहसीलदार पेश की जिसका निर्णय दिनांक 24.3.87 को होकर उक्त भूमि मे दिनेश चंद की पैतृक रिहायश होना और उसके पिता को नगर पालिका हिण्डौन द्वारा ग्राण्ट रेट पर खाम मकान बनाने के लिए 541.2/3 गज भूमि मकान निर्माण के लिए दी गई और मूजम नक्शा खास मकान तामिल की इजाजत दी गई। उक्त स्थितियो की वास्तविकता हेतु दौरोने अपील मौके पर नायब तहसीलदार के साथ स्वयं एडीएम करौली द्वारा निरीक्षण किया गया और उक्त भूमि पर दिनेशचंद के पुख्ता निर्माणात मौके पर पाये गये तथा उक्त भूमि के रकबे 4 बीघा 7 विस्वा सम्पूर्ण पर आबादी बसावट पाई गई और बसावट के काम मे आना पाया गया और दूर दूर तक मकान निर्माण पाये गये और उक्त आधार पर दिनेश चंद की अपील स्वीकार कर उसके विरूद्व धारा 91 एल आर एक्ट की कार्यवाही को निरस्त किया गया। उक्त भूमि मे कभी भी गैरमुमकिन कंवर नही रही बल्कि उक्त भूमि सरकारी सिवायचक होकर नगर पालिका हिण्डौन परिक्षैत्र मे होने से उसमे लोगो की बसावट होकर पुख्ता निर्माणात हो गये, मगर सेटलमेंट कर्मचारियो ने उक्त भूमि को गलत रूप से वक्फ सम्पति अपने अधिकार क्षैत्र से बाहर जाकर दर्ज कर दिया। जिसका उनको कोई अधिकार नही था। उक्त तथ्य के सबंध मे रेस्पो0 ने अपनी जबाब देही मे स्वीकार किया है और उक्त भूमि मे पूर्णरूपेण आबादी दर्ज होना दर्ज किया है मगर अधिनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्य को साबित मानते हुए केवल मात्र राजस्व रिकार्ड मे उक्त सम्पति वक्फ विभाग के नाम दर्ज होने के आधार पर दावा बिलकुल गलत व विधि विरूद्व खारिज किया है इस सबंध मे कोई स्पष्ट अभिमत भी अंकित नही किया इसलिए अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री तथ्यो व साक्ष्यो के विपरीत होने से निरस्त किया जाकर अपीलाट की अपील स्वीकार किये जाने योग्य है। आराजी खसरा न0 साबिक 2477 मे हरिवल्लभ भटट ब्राहम्ण ने उक्त भूमि मे रहते हुए अपने मकान को सुरेन्द्र कुमार पुत्र मांगीलाल महाजन को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र दिनांक 29.11.76 मे विकय कर दिया। तत्पश्चात उक्त

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधापुर

खरीदशुदा मकानियत को सुरेन्द्र कुमार द्वार वादिया अपीलांट को दिनांक 8.6.16 को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र कर कब्जा करा दिया वर्तमान मेवादिया रामादेवी उक्त खसरा न0 मे बने पुख्ता मकान पर काबिज एवं दखील होकर उसका उपयोग उपभोग करती चली आ रही है। और उक्त भूमि मे वादिया ने विधुत कनेक्शन ले लिया है। जिसके विलो का भुगतान करती चली आ रही है। उक्त सम्पति से किसी अन्य व्यक्ति का कोई सबंध वास्ता नही है। इससे स्पष्ट है कि उक्त साबिक खसरा न0 2477 जिसका हाल खसरा न0 6007 कायम किया गया है कभी भी वक्फ सम्पति नही रही और ना ही कभी उक्त भूमि मे कोई गैर मुमकिन कंवर रही बल्कि उक्त भूमि प्रारंभ से ही सरकारी सिवायचक भूमि रही है। जिसमे लोगो के आवासीय परिसर व रिहायश हो रही है। मगर सेटलमेंट कर्मचारियो द्वारा उक्त भूमि को गलत व विधि विरूद्व रूप से वक्फ सम्पति दर्ज कर दिया। जिसका उनको कोई हक हकूक कानूनन हासिल नही था तथा उक्त तथ्य को रेस्पो0 द्वारा अपनी जबाब देही मे स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है और भूमि पर आबादी बसी होना स्पष्ट रूप से स्वीकृत तथ्य रहा है मगर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्य को साबित मानते हुए भी आंख मूदकर सम्पूर्ण दस्तावेजी साक्ष्य को ओवरलुक करते हुए दावा वादिया गलत रूप से खारिज किया है इसलिए अपील स्वीकार की जाकर दावा वादिया डिकी किया जावे। अतः अपीलांट की अपील स्वीकार फरमाई जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिकी निरस्त किया जाकर दावा वादिया डिकी फरमाया जावे।

रेस्पो0 के अधिवक्ता पेरोकार सरकार का बहस के दौरान अपीलांट के अधिकतर कथनो को नकारते हुए कथन किया कि नकल जमाबंदी सम्वत 2000 लगायत 2019 व 2021 से 2024 के अनुसार वादग्रस्त आराजीयात साबिक खसरा न0 2477 रकबा 4 बीघा 7 विस्वा किस्म कबरीस्तान वाके कस्बा हिण्डौन खातेदारी के कॉलम मे सिवायचक भूमि दर्ज रिकार्ड है, खसरा गिरदावरी सम्वत 2008 लगायत 2011 के अनुसार वादग्रस्त आराजीयात गैर मुमकिन कंवर वाके कस्बा हिण्डौन खातेदारी कॉलम मे सिवायचक एवं काश्त के कॉलम मे मकान वना होना दर्ज है इसी प्रकार खसरा गिरदावरी सवंत 2012 से 2015 के अनुसार साबिक खसरा न0 2477 किस्म गैर मुमकिन कंवर वाके कस्बा हिण्डौन खातेदारी के कॉलम मे सिवायचक दर्ज रिकार्ड है। इसी प्रकार गिरदावरी सम्वत 2018 लगायत 2021 के अनुसार साबिक खसरा न0 2477 किस्म गैर मुमकिन कंवर दर्ज रिकार्ड है तथा विशेष विवरण के कालम मे मूलचंद कारीगर कब्जा पाटौर पोश 5 विस्वा पर गोरधनदास कब्जा पोटोर 2 विस्वा पर, नथुआ कब्जा पाटौर 4 विस्वा पर, हरिकिशन धाकड कब्जा पाटौर 3 विस्वा पर , हरिवल्लभ कब्जा बाडा 2 विस्वा दर्ज रिकॉर्ड है। नकल खसरा गिरदावरी सवंत 2022 लगायत 2025 व 2026 लगायत 2029 तथा 2034 लगायत 2036 के अनुसार साबिक खसरा न0 2477 किस्म गैर मुमकिन कंवर वाके कस्बा हिण्डौन खातेदारी के कॉलम मे सिवायचक एवं काश्त के कॉलम मे गैर मुमकिन आबादी दर्ज रिकार्ड है तथा संवंत 2024 मे गैर मुमकिन कब्रिस्तान एवं आबादी दर्ज है। नकल खतौनी बंदोबस्त भू प्रबंध विभाग के अनुसार हाल खसरा न0 6007 रकबा 1.09 है0 किस्म गैर मुमकिन कब्रिस्तान वाके कस्बा हिण्डौन की खातेदारी राजकीय भूमि (लगान वाईज) निरन्तर दर्ज रिकार्ड है। नकल खसरा गिरदावरी सवंत 2049 लगायत 2053 के अनुसार खसरा न0 6007 रकबा 1.09 है0 किस्म गैर मुमकिन कब्रिस्तान वाके कस्बा हिण्डौन खातेदारी के कॉलम मे राजकीय

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

भूमि एवं काश्त के कॉलम मे गैर मुमकिन आबादी दर्ज रिकार्ड है तथा खसरा गिरदावरी सवंत 2063 लगायत 2066 के अनुसार खसरा न0 6007 रकबा 1.09 है. किस्म गैर मुमकिन कब्रिस्तान वाके कस्बा हिण्डौन खातेदारी के कॉलम मे वक्फ विभाग एवं काश्त के कॉलम मे गैर मुमकिन कंवर/कब्रिस्तान दर्ज रिकार्ड है। नकल खसरा गिरदावरी संवत 2067 लगायत 2070 के अनुसार खसरा न0 6007 रकबा 1.09 है0 किस्म गैर मुमकिन कवर वाके कस्बा हिण्डौन खातेदारी के कालम मे वक्फ सम्पतियो(वक्फ विभाग) एवं काश्त के कॉलम मे गैर मुमकिन कब्रिस्तान दर्ज रिकार्ड है। सेटलमेंट से पूर्व साबिक खसरा न0 2477 सिवायचक भूमि रही है। सेटलमेट द्वारा विधि विरूद्व तरीके से भूमि को वक्फ बोर्ड के नाम दर्ज किया गया है। जबकि भूमि पर पुरानी घनी आवादी बसी हुई है। वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे वादग्रस्त आराजीयात वक्फ सम्पति के नाम दर्ज है। अतःअपीलांट की अपील खारिज फरमाई जावे।

उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। जिससे यह तथ्य सामने आये कि भूमि साबिक खसरा न0 2477 रकबा 4 बीघा 7 विस्वा कस्बा हिण्डौन सिटी साबिक मे सिवायचक भूमि रही है। जिसकी पुष्टि खतौनी बंदोबस्त सवंत 2000 से 2019 से होती है एवं उक्त तथ्य उभयपक्ष का स्वीकृत तथ्य है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध पटवारी हल्का की रिपोर्ट अनुसार आराजी साबिक खसरा न0 2477 रकबा 4 बीघा 7 विस्वा कस्बा हिण्डौन के दौराने सेटलमेंट नवीन खसरा न0 6007 रकबा 1.09 है0 बनाये गये है जो मिलान क्षैत्रफल से भी साबित होता है. उक्त भूमि कभी भी कब्रिस्तान के उपयोग मे नही ली गई है तथा उक्त भूमि मे मुस्लिम समाज की कोई कवर बनी हुई नही है। उक्त भूमि मौके पर लगभग 60–70 वर्ष पूर्व से आबादी के उपयोग मे आ रही है। जो पटवारी हल्का की रिपोर्ट से स्पष्ट है। इससे स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त आराजीयात सेटलमेंट से पूर्व राजकीय भूमि सिचायचक दर्ज राजस्व रिकार्ड रही है जिसकी पुष्टि पत्रावली मे उपलब्ध राजस्व रिकार्ड से भी होती है। सेटलमेंट विभाग द्वारा दौराने सेटलमेंट साबिक खसरा न0 2477 रकबा 4 बीघा 7 विस्वा का नवीन खसरा न0 6007 रकबा 1.09 है0 कस्बा हिण्डौन कायम कर भूमि की किस्म गैर मुमकिन कंवर दर्ज कर दी गई जबकि भूमि की किस्म परिर्वतन करने एवं भूमि का रकबा कम या ज्यादा करने का अधिकार भू प्रबंध विभाग को बिना किसी सक्षम आदेश के बिना नही होता है। जबकि सेटलमेंट विभाग द्वारा अपने अधिकार क्षैत्र से बाहर जाकर भूमि की किस्म को परिवर्तित किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय मे प्रतिवादी तहसीलदार हिण्डौन द्वारा जबाब दावा पेश कर वादिया के वाद पत्र के अधिकांश तथ्यो को स्वीकार कर वादग्रस्त आराजीयात को सिवायचक दर्ज करने पर अपनी सहमति प्रकट की है। परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजीयात की खातेदारी नकल जमाबंदी सम्वत 2056–58,2059–2062,2063–2066,2067–2070,2071–2074 मे गैर मुमकिन कंवर वाके कस्बा हिण्डौन खातेदारी के कॉलम मे वक्फ सम्पतियो (वक्फ विभाग) के नाम दर्ज होने के कारण वादिया का वाद पत्र खारिज किया है। जबकि वादग्रस्त आराजीयात को गलत रूप से सिवायचक की जगह गैर मुमकिन कंवर दर्ज किया है जिसे प्रतिवादी तहसीलदार हिण्डौन द्वारा अपने जबाब दावे मे स्वीकार किया है तथा पटवारी हल्का की रिपोर्ट से भी उक्त तथ्य साबित है कि साबिक खसरा न0 2477 रकबा 4 बीघा 7 विस्वा स्थित कस्बा हिण्डौन साबिक रिकार्ड मे

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

सिवायचक दर्ज रहा है एवं मौके पर काफी पुरानी आबादी बसी हुई है तथा भूमि कभी भी कब्रिस्तान के काम नही आई है । अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली मे उपलब्ध राजस्थान सरकार के द्वारा वक्फ सम्पतियो के बाबत 23 सितम्बर 1965 को जारी गजट नोटिफिकेशन मे तहसील हिण्डौन की वक्फ सम्पतियो की सूची मे भी साबिक खसरा न0 2477 के बाबत किसी प्रकार का कोई तथ्य अंकित नही है जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय मे माना है जिसे अधिनस्थ न्यायालय द्वारा अनदेखा किया है तथा तहसीलदार हिण्डौन की जबाबदेही एवं पटवारी हल्का की रिपोर्ट को भी अनदेखा कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधि विरूद्व पारित की है जो विधिक निर्णय की श्रेणी मे नही आता है। जो अपास्त योग्य है तथा अपीलांट की अपील स्वीकार योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार योग्य होने से स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन के प्रकरण संख्या 101/25 मे पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 24.2.26 को अपास्त किया जाता है तथा आराजी त साबिक खसरा न0 2477 रकबा 4 बीघा 7 विस्वा सरकारी सिवायचक स्थित कस्बा हिण्डौन जिसके नवीन खसरा न0 6007 रकबा 1.09 है0 स्थित कस्बा हिण्डौन कायम किया है, को वक्फ सम्पति से हजफ किया जावे तथा साबिक रिकार्ड के अनुसार भूमि सरकारी सिवायचक दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे उसी अनुरूप दुरूस्ती की जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02.06.2026 को लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(लक्ष्मी कांत बालोत)
राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

डिगरी बसीगे अपील

(ओ. 41 रूल 35 जाप्ता दीवानी)

(Civil Procedure code, Appendix G)

अज अदालत राजस्व अपील प्राधिकारी मुकाम सवाई माधोपुर

बइजलास श्री लक्ष्मीकांत बालोत आर.ए.एस.

रामादेवी पत्नि महेन्द्र धाकड जाति धाकड निवासी गौगती कॉलोनी हिण्डौन तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

अपीलांट

बनाम

लैण्ड होल्डर तहसीलदार तहसील हिण्डौन सिटी जिला करौली

रेस्पो0

अपील संख्या 63/2026 निर्णय व डिकी न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन दिनांक 24.2.26 दावा बाबत घोषणा व इन्द्राज दुरूस्ती। यह अपील संख्या 63/26 व तारीख 02.06.2026 रूबरू हमारे व हाजिरी श्री ईश्वर सोनी अभिभाषक मिन जानिब अपीलांट तथा रेस्पो0 पेरोकार सरकार उभयपक्ष अधिवक्तागण की उपस्थिति उभयपक्ष मे हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हिण्डौन के प्रकरण संख्या 101/25 मे पारित निर्णय व डिकी दिनांक 24.2.26 को अपास्त किया जाता है। आराजीयात साबिक खसरा न0 2477 रकबा 4 बीघा 7 विस्वा सरकारी सिवायचक स्थित कस्बा हिण्डौन जिसके नवीन खसरा न0 6007 रकबा 1.09 है0 स्थित कस्बा हिण्डौन कायम किया है, को वक्फ सम्पति से हजफ किया जावे तथा साबिक रिकार्ड के अनुसार भूमि सरकारी सिवायचक दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे उसी अनुरूप दुरूस्ती की जावे।

असब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत आज तारीख 02.06.26 को जारी किया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
सवाई माधोपुर

खर्चा अपील

अपीलांट	रूपये	पैसे	रेस्पो0	रूपये	पैस
स्टाम्प अपील	---	---	स्टाम्प वकालतनामा	---	---
स्टाम्प वकालतनामा	---	---	स्टाम्प अर्जी	---	---
इजराय हुक्मनामा	---	---	इजराय हुक्मनामा	---	---
वकील फीस बाबत	---	---	महन्ताना वकील	---	---